जजमानी व्यवस्था – समाजशास्त्रीय विवेचन

डॉ. जगजीत सिंह कविया
व्याख्याता समाजशास्त्र
राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू

भारतीय समाज में विद्वान जाति व्यवस्था मात्र सामाजिक स्तरीकरण का एक आधार नहीं है बल्कि आर्थिक जीवन का भी एक प्रमुख आधार है यह केवल व्यक्ति और समूह के सामाजिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करती वरण उनके आर्थिक जीवन की भी केंद्रीय धुरी है जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है और उच्च जाति के सदस्य उस व्यवसाय को संपादित करके अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं जाति व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने जातिगत व्यवस्थाएं को परिवर्तित नहीं कर सकता विभिन्न जातियों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय पूर्णतया स्वतंत्र न होकर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं यही कारण रहा कि प्राचीन काल से ही विभिन्न जातियां उच्चावच एवं निम्न का के बावजूद एक–दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप से संबंधित रही है विभिन्न जातियों के मध्य विद्वान इन कार्यात्मक संबंधों को ही जजमानी व्यवस्था कहते हैं।

जजमानी संबंध हिंदू सामाजिक संगठन में विभिन्न जातियों परिवारों के मध्य अंत निर्भरता की उप प्रणालियों को अभिव्यक्त करते हैं जजमानी संबंध उत्पादन परिवार एवं वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति करने वाले परिवारों के मध्य विस्तृत प्रकृति के दीर्घकालीन संबंध है जो अंतर पीढ़ी हस्तांतरणीय है तथा वस्तु एवं सेवा केंद्र विनिमय के अनौपचारिक संस्थागत ढांचे को प्रस्तुत करते हैं।

यह संबंधी विभिन्न जातियों के मध्य एक गैर प्रतियोगी एकता एवं जातीय अंतर निर्भरता के परिचायक है क्योंकि उत्पादन परिवार तथा आपूर्ति करने वाले परिवार ग्रामीण सामाजिक ढाचे में क्रमशः उच्च एवं निम्न जातियों का सामान्यता प्रतिनिधित्व करते हैं एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख विलियम वाइजर ने अपने शोध ग्रंथ द हिंदू जजमानी सिस्टम 1936 में प्रस्तुत किया उन्होंने यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव में किया था अपने मौलिक योगदान में वाइजर नहीं है विस्तार पूर्वक बताया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और विनिमय में विभिन्न जातियां किस प्रकार एक दूसरे से लेनदेन करती है जजमानी प्रथा का उल्लेख करते हुए ऑस्कर लेविस अपनी पुस्तक विलेज लाइफ इन नेर्थर इंडियन में लिखते हैं कि इस व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष निश्चित सेवाओं की आशा की जाती है गांव में खाती लकड़ी की चीजें बनाता है नहीं बाल काटता है लोहार लोहे के औजार बनाता है किंतु अपनी सेवाएं सभी को प्रदान लेकर केवल उन्हीं परिवारों को प्रदान करता है जिनसे उनके वंश परंपरा से संबंध चले आ रहे हैं।

समाजशास्त्र दृष्टी से जजमान वह सामाजिक ईकाई है जो उत्पादक परिवार का भाग है उस इकाई के समस्त धार्मिक सांस्कृतिक कृतियों का संचालन ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा किया जाता है जजमानी संबंधों का उच्च जातीय तंत्र मुख्यता जजमानी संबंध उत्पादक परिवार जो की संरक्षक परिवार है तथा जिसका सम्बन्ध सामान्यतः द्विज जातियों से है के साथ सेवा करने वाले परिवार जो सामान्यतः निम्न जातियों से संबंध है के मध्य आर्थिक विनिमय जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान–प्रदान होता है और जिससे अंत पीढ़ी निरंतरता प्रदान करने के लिए धार्मिक सांस्कृतिक वैधता दी जाती है।

जजमानी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंदर विभिन्न जातिगत व्यवसायो के विशेषज्ञ जैसे ब्राह्मण पुरोहित अस्त कार लोहार बढ़ई नाई कुम्हार धोबी कहार चमार आदि अपने दुश्मनों को अपने परंपरागत सेवाएं अर्पित करने के लिए जाते परंपरा द्वारा बाध्य होते हैं जिसके प्रति बदले में उन्हें अपने जजमानो से एक निश्चित मात्रा में दोनों फसलों पर सामान्यता अन्न प्राप्त होता है।

सेवा करने वाले परिवारों को विभिन्न क्षेत्रों में कमीन लागदार पुरजन परधान प्रजा पवनी बलुतदार महाराष्ट्र में इन्हें बाड़ा बलूटे मद्रास में मिरासी तथा मैसूर में अद्दे की संज्ञा दी जाती है चूंकि सेवा करने वाले परिवार अपने विशिष्ट व्यवसाय में जिन का स्वरूप परंपरागत है विशेषज्ञ होते हैं अतः जजमानी संबंध श्रम विभाजन की प्रणाली में अंतनिर्मित संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं जजमानी संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं तथा अंत पीढ़ी निरंतरता के कारण यह जातीय नियमों से संचालित होते हैं यह संबंध जिन परिवारों के मध्य है वहां इनका चरित्र गैर हस्तान्तरणीय है इनके अंतर्गत एक परिवार केवल एक परिवार की सेवा कर सकता है अथवा एक परिवार पूरे गांव की सेवा कर सकता है।

जजमानी संबंध केवल आर्थिक विनिमय मात्र ही नहीं है वरन यह संपूर्ण ग्रामीण जीवन शैली तथा उनमें अंतर्निहित पारस्परिक सहायता के मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं सेवा करने वाले परिवार की सामाजिक स्थिति जजमान के परिवार की प्रतिष्ठा की भी निर्धारित होती हैं अतः ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में जजमान के परिवार का संरक्षण इन सेवा करने वाले परिवारों को विशेषाधिकार प्रदान कर देता है सेवा करने वाले यह परिवार जजमान के परिवारों की संपूर्ण जीवन यापन की पद्धति उनकी निर्मलता और उनकी वास्तविकता तथा उनके अतीत से पूर्णरूपेण परिचित होते हैं और इसलिए यह संबंध जातीय असमान्यताओं के बावजूद भावात्मक अनौपचारिक एवं एक सीमा एक परार्थवादी हो जाते हैं जन्म विवाह मृत्यु एवं अन्य अनेक घटनाओं के सुव्यवस्थित संचालन में सेवा करने वाले इन परिवारों की अहम भूमिका होती है जहां तक इन संबंधों में लेनदेन का प्रश्न है वह उपज के तत्काल बाद विभिन्न त्योहारों के अवसर पर अथवा विभिन्न प्रद्यटनाओ मे भूमि का निर्माण के उपरांत सेवा करने वाले परिवारों को भोजन वस्त्र आदि वस्तुएं प्रदान कर

पारिश्रमिक दिया जाता है यह पारिश्रमिक भी प्रघटना विशिष्ट हो सकता है और इस लेन–देन में सदैव परंपरागत तरीके होते हैं।

समकालीन भारत में मौद्रिक विनिमय सैनिक मूल्यों के प्रसार जैसे कारकों के चलते जजमानी संबंधों का ढांचा ग्रामीण परिवेश में तीव्र गति से विघटित हो रहा है इन परिवर्तनों के बावजूद गांव में जाति का दृढ़ आधार वर्तमान ग्रामीण परिदृश्य में भी जजमानी संबंधों की उपस्थिति को एक यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करता है।

जजमानी पर विभिन्न विद्वानों के विचार

हैराल्ड गूल्ड ने जजमानी व्यवस्था का वर्णन अंतर पारिवारिक अंतर्जातीय संबंध के रूप में किया है जिसमें उत्पादक परिवार तथा सेवा करने वाले परिवारों के मध्य संबंध स्वामी तथा अधीनता के पाए जाते हैं।

योगेंद्र सिंह ने जजमानी व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि यह कैसी व्यवस्था है जो ग्राम में अंतरजातीय संबंधों में परस्परिकता पर आधारित संबंध द्वारा नियंत्रित होती है।

ईश्वरन ने जजमानी व्यवस्था के संदर्भ में कहा है कि यह कैसी हो जाता है जिसमें संपूर्ण सामुदायिक जीवन में प्रत्येक जाति को एक भूमिका निभानी होती है इस भूमिका में आर्थिक सामाजिक एवं नैतिक कार्यों की पूर्ति होती है।

कोलेन्डा जजमानी व्यवस्था को भारतीय गांव में एक संस्था या सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं जो की भूमिका हो तथा प्रति मानव के जाल के द्वारा बनी होती है।

लीच जजमानी व्यवस्था को श्रम विभाजन तथा जातियों के मध्य पारस्परिक आर्थिक निर्भरता बनाए रखने वाली संस्था कहते हैं।

ऑस्कर लेविस का कथन है कि जजमानी प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गांव के प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष सेवाओं की आशा की जाती है।

इस प्रकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय सामाजिक परिवेश मैं विशेषतः ग्रामीण सामाजिक परिवेश में दास्तां अथवा सामंतवाद की संस्कृति को अभिव्यक्त करती है आर्थिक एवं गैर आर्थिक शोषण तथा बाध्यता मुल्क श्रम को धार्मिक सांस्कृतिक वैधता प्रदान करती है।

जजमानी व्यवस्था की संरचना

जजमानी संबंधों विशिष्ट व्यवस्थाएं करने वाली जातियों से है जो परंपरागत एवं वस्तु विनिमय पर आधारित है जजमानी संबंध जाति की व्यवस्था एक प्रगतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं विभिन्न परिवार जो सेवा कार्य कर रहे हैं अपने व्यवस्था एक गुणों अथवा उसकी विशेषताओं के विषय में सेवा करने वाले परिवार के साथ ना तो कोई सहभागिता करते हैं और ना ही उत्पादन करने वाला परिवार अपनी व्यवस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करता है सत्य जजमानी संबंध

आर्थिक प्रकृति के होने के कारण अपने व्यवसायिक हितों का पारस्परिक आदान प्रदान नहीं करते यह स्थिति परसपरिक व्यवसायिक संबंधित जाति विशेषता को निरंतरता प्रदान करती है जजमानी संबंध मूलतः आर्थिक है परंतु इन संबंधों का क्रियान्वयन जाति धर्म एवं परिवार की सांस्कृतिक विरासत के आधार पर होता है यह संबंध सत्य है और परंपरा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं चूंकि इन में मौद्रिक विनिमय का अभाव है अतः जजमानी संबंधों को गैर सुविदात्मक संबंधों की संज्ञा दी जा सकती है।

जिस्मानी संबंध कल्पनिक बंधुत्व प्रणाली पर आधारित है जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि गांव में जातीय पृथक्करण के बावजूद अंतरजातीय संबंधों में एक स्तर पर शोषण को किस प्रकार का स्थान नहीं था संबंधों का यह स्वरूप जाति को गैर दमनकारी संस्था के रूप में स्थापित करता है और इस तर्क की स्थापना करता है की विभिन्न जातियां अपने आर्थिक एवं व्यवसाय खेतों की जहां एक तरफ सुरक्षा प्रदान करती थी वहीं दूसरी तरफ विभिन्न जातियों के मध्य पाए जाने वाले अनौपचारिक संबंध आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करते थे।

जजमानी व्यवस्था में विभिन्न जातियों के पारस्परिक सेवाओं के संबंध में प्रत्यक्ष एवं पारिवारिक स्तर पर होते हैं इस कारण इन संबंधों में एक स्थाई तत्व पाया जाता है यह संबंध अंत पीढ़ी हस्तान्तरणीय है इस रूप में इन संबंधों में संरचनात्मक बदलाव संभव नहीं है वस्तु अथवा सेवा प्रदान करने वाला परिवार जजमान को अस्वीकारता था तो संबंधित जाति उस परिवार का बहिष्कार कर देती थी और यदि उत्पादन करने वाला परिवार सेवा करने वाले परिवार से संबंधित तोड़कर यदि किसी अन्य परिवार से संबंध स्थापित करना चाहता था तो सेवा करने वाले परिवार से संबंधित जाति उत्पादन करने वाले परिवार का पूर्ण बहिष्कार कर देती थी इन संबंधों की प्रकृति बहुआयामी है क्योंकि यह संबंध मात्रा आर्थिक न होकर धार्मिक सांस्कृतिक एवं पारिवारिक भी है।

जजमानी व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता उसका अनुवांशिक किया वंशानुगत होना है अर्थात जजमान व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सेवाओं के आदान–प्रदान की प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है उदाहरण के लिए यदि एक नई परिवार किसी परिवार को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है तो उसके पिता और दादा भी उस परिवार की सेवा करते रहे होंगे तथा उसकी होने वाले संता ने भी भविष्य उसी परिवार की सेवा करती रहेगी इस संदर्भ में दो बातें विचारणीय है प्रथम सेवा करने वाली जाति के सभी परिवारों के साथ जजमानी अधिकार बराबर नहीं होते हैं उदाहरण तक 12 वीं के पास जीरो का जजमान हो सकते हैं जबकि दूसरा दो इ25 जजमान परिवारों की सेवा में संलग्न हो सकता है दूसरा सेवा करने वाले जातियों का कार्य से सम्मान नहीं होता है सेवाओं की प्रकृति के कारण यह क्षेत्र कम या अधिक हो सकता है उदाहरणार्थ जजमान को नाई की सेवाओं की आवश्यकता सप्ताह में एक या दो बार होती है इस कारण आई एक से अधिक गांव की सेवा कर सकता है इसी प्रकार महाजन की आवश्यकता और भी कम होती है और

उसका कार्य क्षेत्र 1520 गांव तक हो सकता है किसी सेवा करने वाले जाति का कार्य चित कितना होगा यह स्थानीय परिस्थितियों सेवा की मांग तथा कमीन की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है।

जजमानी अधिकारों की अनुवांशिक प्रकृति को स्पष्ट करते हुए एन एस रेड्डी ने लिखा है जजमानी कार्य का अधिकार किसी भी अन्य प्रकार की संपत्ति के समान माना जाता है यह पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है और जब भाइयों में बंटवारा होता है तो जजमानी अधिकारों का भी भू संपत्ति के समान ही विभाजन होता है जिस परिवार में मात्र एक पुत्री ही होती है उसमें यह अधिकार पुत्री के पति को प्राप्त हो जाते हैं।

डॉ श्यामाचरण दुबे ने लिखा है कि किसी किसान के लिए अपने परिवार से लगे किसी परिवार को हटाकर दूसरे परिवार की सेवाएं पाना सरल नहीं होता कोई भी व्यक्ति जाति पंचायत के दर्द के कारण किसी दूसरे के स्थान पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है।

जजमानी व्यवस्था के उपर्युक्त कार्य संरचना से स्पष्ट है कि भारत में जजमानी व्यवस्था यहां के जातिगत संस्करण को स्थाई बनाए रखने वाला महत्वपूर्ण प्रतिमान है इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न जातियों के बीच कार्यात्मक निर्भरता बनाए रखना तथा विभिन्न जातियों को एक दूसरे के समीप लाना कुछ समाज विद्वानों के विचार है की इस व्यवस्था का उद्देश्य मुद्रा विनियम के अभाव की पूर्ति करना रहा है वास्तव में जजमानी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था का उप संकूलन है जिसका उद्देश्य के संग्रहण को हतोत्साहित करके पारस्परिक सेवा के महत्व को स्थापित कर करना है।

जजमानी व्यवस्था के प्रकार है प्रकाश प्रकार्य –

जजमानी व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन के परंपरागत अनौपचारिक स्वरूप की परिचायक है जजमानी संबंधों का समाजशास्त्र वस्तुतः अंतर्जातीय सामाजिक संबंधों का वह वैज्ञानिक विश्लेषण है जो ग्रामीण सामाजिक परिवेश के संदर्भ में अंतरजातीय अंतर जातीय एकता की कार्य कारण डाकू समझने एवं उन्हें प्रस्तुत करने का आधार बनता है।

इसके साथ ही जजमानी संबंधित सामाजिक यथार्थ का परिचायक है कि विभिन्न उच्च एवं निम्न जातियों सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों के बावजूद एक–दूसरे की आवश्यकताओं की संतुष्टि का गैर प्रतियोगी माध्यम बनकर श्रम विभाजन की उस प्रणाली को भारतीय समाज का यथार्थ बनाती है जिसे दुर्खीम यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों की विशेषता के रूप में प्रस्तुत करते हैं जजमानी के प्रमुख समाजशास्त्र पर कार्यों को नियमित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है।

आर्थिक सुरक्षा जजमान व्यवस्था में प्रत्येक जाति को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है अपने पत्रक स्वरूप के कारण इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आजीविका की खोज में इधर–उधर जाना नहीं पड़ता सभी जातियों को अपने जजमान उसे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति

के समुचित साधन गांव में ही प्राप्त हो जाते हैं परंपरागत रूप से जाति का जन्म आधारित व्यवस्था सुनिश्चित होने के कारण व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा का जन्म नहीं होता।

सामाजिक बीमा जजमानी व्यवस्था एक प्रकार का सामाजिक बीमा भी होती है क्योंकि इसमें जजमान अपने कमीनों सेवा देने वाले को नए केवल उसकी सामान्य सेवाओं के बदले कुछ देता है बल्कि अनेक विशेष अवसरों जैसे उनकी बीमारी दुर्घटना जन्म मृत्यु तथा विवाह आदि के अवसरों पर अपने कमीनों सेवा देने वालों की आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता करता है इन समस्त अवसरों पर अपनी सेवा करने वाले की मदद करना जजमान का नैतिक उत्तरदायित्व होता है और प्रत्येक जजमान इस प्रकार की सहायता करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं इसके बदले में सेवा देने वाले भी अपने जज्बातों के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं।

व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा का अभाव सेवा देने वाले जजमानी –

व्यवसाय में प्रत्येक जाति की जजमान बैठे होते हैं और जजमानी अधिकार पिता से पुत्र को ही स्थानांतरित होने कोई आसानी से इन्हें बदल नहीं सकता है प्रत्येक जाति की पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों में जज मानव के बंटवारे को नियंत्रित करती है यदि कोई जजमान अपने को बदलना चाहता है तो कोई दूसरा अपनी जाति पंचायत के डर से उसकी सेवा नहीं करता इस प्रकार प्रत्येक किसी भी व्यक्ति को यह डर नहीं होता है कि कोई दूसरा उसके जजमान को छीन लेगा इस प्रकार जजमानी व्यवस्था जहां एक और प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसायिक सुरक्षा प्रदान करती है वहीं दूसरी ओर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और विशेषकर अनुचित प्रतिस्पर्धा का विकास नहीं होने देती है।

सामाजिक नियंत्रण जजमानी व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण का भी प्रभावशाली साधन है इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति के अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं इसके अंतर्गत व्यक्तियों को अपने स्वार्थों को दूसरों के अधीन करना पड़ता है और अनुशासन के अंदर रहना पड़ता है प्रत्येक जाति की पंचायत इस बात का ध्यान रखती है कि उसके सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं।

शांति और संतोष जजमानी व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा और न्यूनतम व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न कर के समुदाय में किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को दूर करती है और ग्रामीण जीवन में शांति और संतोष को प्रोत्साहित करती है वह ने लिखा है जजमानी ग्राम व्यवस्था वालों को शांति और संतोष प्रदान करती है इस व्यवस्था में जातियों के सदस्यों को किसी प्रकार का काम खोजने की चिंता नहीं होती क्योंकि उनका व्यवसाय और जिनको सेवा प्रदान करनी है पहले से निश्चित होते हैं इसी प्रकार जजमान को भी कार्य कराने के लिए किसी को खोजने की आवश्यकता

नहीं होती है अतः यह व्यवस्था जजमान को ही किसी प्रकार के मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाकर शांति और संतोष प्रदान करते हैं।

ग्रामीण समुदाय में एकता जजमानी व्यवस्था में विभिन्न जातियों के परिवारों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतर्संबंध था होने के कारण यह डांसर समीक्षा और संगठन का प्रतीक है यही कारण है कि जाति व्यवस्था में असमानता मूलक संबंध होने के बावजूद यह ढांचा ग्रामीण समुदाय में हम की भावना को मूर्त रूप प्रदान कर रहा है।

जजमानी व्यवस्था के अप्प कार्य –

जहां एक जजमानी व्यवस्था ने सदियों से भारतीय सामाजिक ढांचे को संगठित करने का प्रयास किया वहीं इस ढांचे में समाहित धार्मिक सांस्कृतिक प्रति मानव के चलते यह व्यवस्था ग्रामीण सामाजिक परिवेश में दास्तां एवं सामंतवाद की पर्याय बन गई।

जजमानी व संबंध ग्रामीण सामाजिक परिवेश में जाति केंद्रीय सामाजिक दूरियों को नए केवल प्रोत्साहित ही करते हैं अपितु उन्हें जीवन शैली का एक अंग भी बना देते हैं जजमानी व्यवस्था के अ कार्यों को नियमित रूप से समझा जा सकता है।

व्यक्तिगत जीवन के वस्त्र कार्य –

जजमानी व्यवस्था में व्यवसाय की प्रकृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने के कारण नई पीढ़ी के युवाओं को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है।

व्यवसायिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का अभाव होने के कारण सभी काम करने वाली जातियों की कार्य क्षमता में कमी होने लगती है।

इस व्यवस्था का एक अन्य दोषी है भी है कि इसमें सेवा करने वाली जातियां परंपरागत ढंग से ही शिवम को निष्पादन करती है वह नवीन प्रविधियां एवं तकनीक को अपनी सेवाओं में सम्मिलित नहीं करती क्योंकि जजमानी व्यवस्था में सेवाओं में सुधार के बदले कोई अतिरिक्त परितोषिक नहीं दिया जाता।

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें परितोषिक कार्य के आधार पर ना होकर जाति के आधार पर होता है यही कारण है कि जजमान के यहां किसी विशेष अवसर के आयोजन पर पुरोहित को कम परिश्रम के बावजूद निम्न जाति के व्यक्ति की सेवा की तुलना में अधिक परितोषिक प्राप्त होता है।

जातिगत ढांचे का पतन जिस जाति व्यवस्था ने सदियों से भारतीय समाज को पोषित किया उसमें सामाजिक आर्थिक रूप से आसमान तावादी एवं शोषणकारी व्यवस्था के बीच आरोपित करके इस ढांचे को शोषणकारी व्यवस्था करो प्रदान कर दिया उसी का परिणाम है कि आज समाज जातीय पहचान का स्वरूप हो रहा है।

आर्थिक शोषण जजमानी व्यवस्था ग्रामीण समुदायों में आर्थिक शोषण को जन्म देती है इस व्यवस्था में सेवा करने वाली जातियों के परिवार जजमान पर निर्भर होने के कारण उनके पास जीवन यापन का कोई अन्य विकल्प नहीं होता इस कारण जजमान सेवा करने वाले परिवारों से मनमाने ढंग से बलात श्रम गैर पारिश्रमिक श्रम के ढांचे को मूर्त रूप प्रदान करता है।

समानता के सिद्धांत की विरोधी जजमानी व्यवस्था का आधार जाति प्रथा आधारित पूछता नियमिता पर आधारित होने के कारण सेवा करने वाली जातियों को जन्म के आधार पर प्राप्त पत्रक व्यवसाय को छोड़ने के स्वतंत्र नहीं होती इसके साथ ही इस व्यवस्था में कुछ जातियों के शक्ति एवं साधनों की दृष्टि से संपन्न होती है जबकि अन्य जातीय समूह में पास इस शक्ति का अभाव होता है इस प्रकार जजमानी व्यवस्था सम्मान एवं आर्थिक समानता पर आधारित होती है।

दोषपूर्ण भुगतान पद्धति जजमानी व्यवस्था की भुगतान पद्धति पर दोषपूर्ण होती है इस व्यवस्था में सेवा प्रदान करने वाली जातियों को सामान्यता फसल के अवसर पर भुगतान होता है इस कारण फसल के समय तो कुछ महीनों के लिए सेवा करने वाली जातियों के पास प्रचुर मात्रा में अनाज सहित अन्य वस्तुएं होती है जबकि वर्ष के शेष महीने में उन्हें उदाहरण ले कर गुजर–बसर करना पड़ता है।

सामाजिक समस्याओं का जनक जजमानी व्यवस्था ने ग्रामीण समुदायों में जाति वे मनुष्य संघर्ष तथा शोषण की स्थितियों को प्रोत्साहित किया है संसाधनों पर स्वामित्व की व्यवस्था के चलते इस व्यवस्था में कई बार जजमान सेवा करने वाले परिवारों का इस सीमा तक शोषण करता है कि वह गांव छोड़कर जाने के लिए विवश हो जाता है।

जजमानी प्रथा में परिवर्तन समकालीन भारत में औद्योगिकरण नगरीकरण प्रौद्योगिकी विस्तार व्यवसायिक विविधता संवैधानिक मूल्यों का प्रसार शिक्षा का विस्तार भूमि सुधारों को लागू होना नवीन अर्थव्यवस्था का उदय जागीरी व्यवस्था की समाप्ति निम्न जातियों का रोजगार की तलाश में गांव से रेलवे स्टेशन के सम्मिलित परिणाम स्वरुप जजमानी व्यवस्था प्रभावित हो रही है यह प्रभाव जहां एक तरफ जजमानी संबंधों में गुणात्मक बदलाव का सूचक है वहीं दूसरी तरफ यह जजमानी संबंधों में रचनात्मक विक्रम की संभावनाओं को स्पष्ट करते हैं।

मोदी विनिमय के कारण जजमानी संबंधों में व्याप्त वस्तु विनिमय का ढांचा निर्बल हुआ है अब गांव में सेवा करने वाले परिवार सेवा के उत्तर में मुद्रा प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं एवं प्राप्त हुई अन्य वस्तुओं को सहयोगी अथवा कम महत्वपूर्ण वस्तुओं की संज्ञा देते हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के कारण जजमानी संबंधों का परंपरागत एवं अन्य पीढ़ी हस्तांतरण के स्वरूप की विखंडन की ओर है सेवा करने वाले परिवारों ने चौकी अन्य व्यवसाय अपना लिए है अतः जजमानी संबंध अब अंत पीढ़ी हस्तांतरण की विशेषता से लगभग प्रथक हो चुके हैं।

गांव में अर्जित प्रस्थिति के प्रभाव की दृष्टि के कारण सेवा करने वाला परिवार अपनी प्रतिष्ठा को निम्न मानता है चाहे वह ब्राह्मण परिवार ही क्यों ना हो अतः आर्थिक प्रतिष्ठा में उर्द गांव में गतिशीलता हेतु यह परिवार जजमानी संबंधों के दायरे से बाहर आने की प्रक्रिया में है।

रोजगार की तलाश में ग्रामीण परिवर्तन की प्रक्रिया का मुख्य भाग निम्न जातियां अथवा सेवा करने वाले परिवार मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं प्रवचन के परिणाम स्वरुप गांव में सेवा करने वाली इकाइयों की संख्या त्रिवती से कम हो रही है अतः गांव में जजमानी संबंधों की निरंतरता पर ही अनेक प्रश्न खड़े हो गए हैं वहीं दूसरी तरफ नगरी संस्कृति का गांव के परिवेश पर गुणात्मक प्रभाव पड़ा है अतः सेवा करने वाले परिवार एवं उत्पादक परिवार के मध्य लंबी अवधि से चला आ रहा सौहार्द और सौहार्द में अंतर्निहित शोषण अब सेवा करने वाले परिवारों को स्वीकार्य नहीं है।

जजमानी व्यवस्था के इस संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के पारस्परिक विनिमय के रूप में जजमानी संबंध इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि सरल यह परंपरागत समाज में पारस्परिक सहयोग हेतु श्रम संबंधित क्रियाओं को अर्थात सेवाओं को वस्तु के रूप में प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए ताकि सामाजिक अस्तित्व की निरंतरता बनी रहे वस्तुओं एवं सेवाओं का विनी में एक दृष्टि से प्रकृति पर मनुष्य की आश्रिता का घोतक है।

इसके सासा जजमानी संबंध जाति परिवार नातेदारी सामूहिक श्रम परंपराओं के मध्य की अंतर निर्भरता ओं का प्रतिनिधित्व करते हैं इस दृष्टि से जजमानी संबंधों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से विकसित हुई अनौपचारिक संबंधों के परिवेश को तथा उसके कारण परिणाम संबंधों को अनुभवी प्रणाली का उपयोग कर समझा जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. Gopal Yadav (1982) Social Background of poverty in estern Uttar Pradesh. Gorakhpur University p-114
2. Oscar Lewis (1958) : Village life in Northern India Pub
3. N.S. Reddy (1955) : Functional Relations of Lohars in a North India Village in Eastern Anthropologist, Vol 8, P-130
4. Harold A. Gould (1987) : A Jajmani system of north India – Its Structure. Magnitude and Meaning, Pub. Chanakya Pub. New Delhi.
5. B.R. Chouhan (1965) : A Rajasthan Village, pub. Vikas Pub. New Delhi.
6. D. N. Majumdar (1958) : Caste and Communication in an India Village, Pub. Asia Pub House, Bombey.
7. M.N. Srinivas (1983) : Modernization of India Tradition, Pub Rawat Pub. Jaipur.

8. Willian H.Wiser (1936) : The Hindu Jajmani system, Pub. Lacknow Pub. House, Lucknow.
9. A.R. Desai (1978) : Rural Sociology in India, Pub. Popular Pub., Bombay
10. Devid G. Medalbom (1984) : Socioty in India Pub. Popular Pub. Bombay.